श्रम

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	प.13(67)वन/95जयपुर	6.3.1995	वन विभाग के कार्य प्रभारी कर्मचारियों को स्थाई आदेश 1973 के अनुसार सभी लाभ दिये जाने बाबत्।	362
2.	एफ2( ) परिपत्र/विधि प्रमुवसं/97/7691 -7871	22.10.1997	विधि विभाग को पत्रावली भेजते समय ध्यान रखने योग्य बातें	362
3.	प.1(3)वित्त/व्यय-3/93 जयपुर,	4.3.1998	वर्कचार्ज कर्मचारियों को अर्द्धस्थायी घोषित किये जाने के संबंध में	363
4.	एफ15(ज)22/94/श्रम/ प्रमुवसं/741-871	25.1.1999	वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित घोषित किया जाकर राजस्थान सेवा नियमों की परिधि में लाये जाने के संबंध में।	364
5.	एफ15(त)8)96/श्रम/प्रमुवसं 632-772	19.1.2001	अर्द्ध-स्थाई/नियमित करने पर प्रतिबन्ध।	364
6.	एफ15(ज)(1)2001/श्रम/ प्रमुवसं/1656-1785	12.2.2001	श्रमिकों की वेतन दरें	365
7.	प.1(3)वित्त/व्यय-3/ 99 जयपुर	13.6.2001	दैनिक वेतन भोगी व अस्थाई कर्मचारियों के नियमन के संबंध में।	366
8.	F15(J)22/94/Part II/ Labour/PCCF/3197-3397	24.6.2003	Clarification about Regular status to Work Charged Employees.	366
9.	3(3)लेखा/ब/प्रमुवसं/04-05/17644	13.12.04	डिक्री की राशि न्यायालय में जमा कराने के क्रम में	367
10.	एफ15(ज)()श्रम/विप्र/ प्रमुवसं/1962-2100	5.3.2005	श्रमिक/कर्मकारों के पेंशन प्रकरणों में समय पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में	368
11.	F.11(5)Forest/93Jaipur	30.3.2005	बाघ परियोजना के कार्मिकों को परियोजना भत्ता	369
12.	क्रमांकः एफ15जी() 04/श्रम/ प्रमुवसं/ 4629-4764	24.8.2005	न्यायालय प्रकरणों की अनुपालना में पुनः सेवा में लिये गये श्रमिकों के अर्द्ध स्थायीकरण प्रस्ताव भिजवाने बाबत्	370

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
13.	प.3(2)कार्मिक/क-3 / जांच/04/ जयपुर,	22.10.2005	वर्कचार्ज कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही।	371
14.	एफ15(ज) ( )03/श्रम / प्रमुवसं/525-660	6.2.2006	नियमित किए गए वर्कचार्ज कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति प्रकरण भिजवाने के संबंध में	371
15.	एफ15ज()06/श्रम/ प्रमुवसं/1924	4.4.2006	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत विचाराधीन दावों में समुचित जवाब प्रस्तुत करने के संबंध में	371
16.	एफ15(ज)(38)05/श्रम/ प्रमुवसं/5262-5397	26.10.2006	10 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन परिलाभ स्वीकृत करने बाबत्	372
17.	एफ.15(ज)(22)94/पार्ट -II/ श्रम/प्रमुवसं/ 5827 -5962	20.11.2006	नियमित घोषित किए गए वर्कचार्ज कर्मियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के समय संचित उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान करने के संबंध में।	373
18.	एफ15ज(312)01/श्रम/प्रमुवसं/6342	21.11.2006	श्रमिकों की जन्मतिथि का निर्धारण	373
19.	एफ.15(ज)(22)94/श्रम /प्रमुवसं/2066	4.6.2007	वर्कचार्ज कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थाई एवं स्थाई करने के संबंध में।	374
20.	एफ15ज(40)96/श्रम / प्रमुवसं/2033	24.4.2008	विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव विधि विभाग के परिपत्र दिनांक 14.7.97 के अनुसार भिजवाने बाबत	375
21.	एफ15(ज)(25)08/श्रम/प्रमुवसं/5841	24.11.2008	न्यायालय प्रकरणों को समयावधि में निस्तारण के संबंध में।	375

श्रम (आई.डी.एक्ट)

1.	एफ2()विधि/प्रमुवसं/ 6213-6363 जयपुर	16.8.2001	उच्चतम न्यायालय का निर्णय- औद्योगिक विवाद अधिनियम में ''उद्योग'' की श्रेणी में वन विभाग का सम्मिलित नहीं होना।	376
2.	एफ15(ज)श्रवि/ विप्र /प्रमुवसं/2564- 664	24.4.2002	श्रम न्यायालय द्वारा वन विभाग को उद्योग की श्रेणी में नहीं मानने बाबत्।	377

क्रम सं.	परिपत्र/आदेश संख्या	दिनांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
3.	एफ15(ज)( )2001/ श्रम/ प्रमुवसं/11111-11211	25.10.2002	श्रम न्यायालय में प्रतिनिधित्व	379
4.	सं.प.14(5)वित्त/नियम /2006 जयपुर	24.8.2006	औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के विभिन्न प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण सेवा से हटाये गये दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को श्रम न्यायालयों/उच्च न्यायालय इत्यादि के निर्णय की पालना में उक्त अधिनियम की धारा 25-एफ एवं जी की अनुपालना करने बाबत्।	379
5.	सं.प.14(9)वित्त/नियम /2006 जयपुर	7.11.2006	औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ की पालना किए बिना श्रमिकों को हटाने बाबत्।	380
6.	एफ15ज( )08/श्रम/ प्रमुवसं/997-1127	15.3.2008	न्यायालय प्रकरणों में आई.डी.एक्ट की धारा 25 एफ की पालना बाबत्।	381

राजस्थान सरकार, वन विभाग क्रमांक. प.13(67)वन/95 जयपुर, दिनांक 6 मार्च, 1995 निमित्त :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

विषय :- वन विभाग के कार्य प्रभारी कर्मचारियों को स्थाई आदेश 1973 के अनुसार सभी लाभ दिये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.9.1986 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.9.1989 व दिनांक 25.7.1994 के अनुसार कार्य प्रभारी कर्मचारियों को स्थाई आदेश 1973 के अन्तर्गत सभी लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9.9.94 के द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

अतः स्थाई आदेश 1973 के तहत कार्य प्रभारी कर्मचारियों को चिकित्सा एवं यात्रा भत्ता दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
एस.डी./-
(सी.एस.भदोरिया)
उप शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि परिपत्र क्रमांक प.15(24)राज/वाद/91 जयपुर, दिनांक 14.7.1997 और विधि सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) राजस्थान सरकार, जयपुर, निमित्त समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पृष्ठांकन क्रमांक एफ2( )परिपत्र/विधि/प्रमुवसं/97/7691- 7871 दिनांक 22.10.97

विषय :- विधि विभाग को पत्रावली भेजते समय ध्यान रखने योग्य बातें।

यह देखने में आ रहा है कि प्रशासनिक विषयों से विधि विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ15(24) राज/वाद/91, दिनांक 8.4.92 की पालना में अपील/निगरानी रिट आदि नहीं करने तथा विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करने अथवा नहीं करने की बाबत् जो पत्रावली प्राप्त हो रही हैं, उनमें तथ्यों, अपील नहीं करने के कारणों, मियाद व विभागीय अधिकारी की लापरवाही आदि के बारे में स्पष्ट विवरण नहीं होता है जिससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत होने वाली पत्रावलियों में समुचित विवरण पेश नहीं हो पाता है।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों से निवेदन किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विधि विभाग को पत्रावलियाँ भिजवाते समय विभागीय पत्रावली की नोटशीट पर निम्नांकित बातों का आवश्यक रूप से समावेश करें:-

(1) प्रशासनिक विभाग प्रकरणों के प्रथम खण्ड में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख करेगा।

(2) द्वितीय खण्ड में अपील नहीं करने के संबंध में लिये गये प्रशासनिक निर्णय का कारण सहित उल्लेख करेगा।

(3) यदि राज्य सरकार पर या राज्य कोष पर किसी कर्मचारी /अधिकारी की उपेक्षा या लापरवाही से दायित्व का उद्भूत हुआ है तो उसके सम्बन्ध में दायित्व निर्धारण बाबत् कार्यवाही का उल्लेख आवश्यक रूप से तृतीय खण्ड में किया जावेगा।

(4) चतुर्थ खण्ड में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उल्लेख करते हुए निम्न तिथियों का स्पष्ट उल्लेख करना होगाः-

1. आदेश/निर्णय की तिथि .....
2. प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि .....
3. प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति की तिथि .....
4. समयावधि (तिथि का उल्लेख करें) .....
5. विधि विभाग को पत्रावली प्रेषित करने की तिथि .....

चूंकि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही व प्रकरण की प्रस्तुति में अनावश्यक विलम्ब को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गम्भीरता से लिया है, इसलिए समस्त प्रशासनिक विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस परिपत्र का पूर्ण रूप से पालना कर ही पत्रावली विधि विभाग को प्रेषित करेंगे अन्यथा पालना नहीं होने की अवस्था में उक्त की पालनार्थ पत्रावली पुनः प्रशासनिक विभाग को लौटाई जा सकेगी।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
(विधि सचिव)

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (व्यय-3 डिवीजन) प.1(3)वित्त/व्यय-3/93 जयपुर, दिनांक 4.3.1998 आदेश

विषय :- वर्कचार्ज कर्मचारियों को अर्द्धस्थायी घोषित किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प.1(1)वित्त/व्यय-3/93 दिनांक 28.2.94 द्वारा वर्कचार्ज प्रणाली समाप्त करने व विद्यमान वर्कचार्ज श्रमिकों को विभिन्न चरणों में अर्द्धस्थायी एवं नियमित घोषित करने का निर्णय लिया था।

अभी भी इंजीनियरिंग एवं अन्य विभागों में काफी संख्या में ऐसे वर्कचार्ज श्रमिक कार्यरत हैं जिन्हें अर्द्धस्थायी घोषित नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा दैनिक वेतन भोगी वर्कचार्ज श्रमिकों को 2 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक से अर्द्ध-स्थाई करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन वर्कचार्ज कर्मचारियों का अर्द्ध-स्थाई घोषित होने वाली दिनांक को वेतन स्थिरीकरण वेतनमान संख्या-1 के न्यूनतम पर किया जावेगा तथा अर्द्ध स्थाई घोषित होने की दिनांक से दिनांक 31.12.1997 तक वेतन नोशनल आधार पर होगा एवं दिनांक 31.12.1997 तक का कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। दिनांक 1.1.98 से इन अर्द्ध स्थाई किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों को निर्धारित वेतन श्रृंखला में वास्तविक भुगतान देय होगा।

एस.डी./-
(डॉ0 आदर्श किशोर)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग, (व्यय-3 डिवीजन) प.1(3)वित्त/व्यय-3/93 जयपुर दिनांक 16 जनवरी, 1999 आदेश कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पृष्ठांकन क्रमांक एफ15(ज)22/94/श्रम/ प्रमुवसं/741-871 दिनांक 25.1.99

विषय :- वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित घोषित किया जाकर राजस्थान सेवा नियमों की परिधि में लाये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प.1(1)वित्त/व्यय-3/93 दिनांक 28.2.94 द्वारा वर्कचार्ज प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था व इस उद्देश्य से वर्कचार्ज कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में नियमित किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की थी। प्रथम चरण में उपरोक्त आदेश दिनांक 28.2.1994 द्वारा ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारियों को, जिनकी दिनांक 31.12.1993 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी थी तथा आदेश क्रमांक प.1(3)वित्त/व्यय-3/93 दिनांक 4.3.1998 के द्वारा ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारियों को, जिनकी दिनांक 31.12.1997 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी थी, को नियमित घोषित कर राजस्थान सेवा नियमों की परिधि में लाया गया था।

शेष बचे वर्कचार्ज कर्मचारियों को शनैः शनैः नियमित किये जाने की दृष्टि से, ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 31.12.1998 को 10 वर्ष या अधिक की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को दिनांक 1.1.1999 से नियमित घोषित कर राजस्थान सेवा नियमों की परिधि में लिये जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। नियमित होने वाले कर्मचारियों को वित्त विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 20.9.95 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार विभिन्न परिलाभ प्राप्त होंगे। चयनित वेतनमानों का लाभ इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4.3.98 एवं परिपत्र क्रमांक प.1(3)वित्त/व्यय-3/98 दिनांक 30.9.98 के अनुसार प्राप्त होगा।

हस्ताक्षर/-
(डॉ0 आदर्श किशोर)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

राजस्थान सरकार, वित्त (व्यय-3) विभाग, प.1(4)वित्त/व्यय-3/98 जयपुर, दिनांक 19.12.2000 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पृष्ठांकन क्रमांकः एफ15(ज)(8) 96/श्रम/प्रमुवसं/632-772 दिनांक 19.1.2001

विषय :- अर्द्ध-स्थाई/नियमित करने पर प्रतिबन्ध।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण (अधिनियम,1999) द्वारा वर्कचार्ज कर्मियों को दैनिक वेतनभोगी से अर्द्ध-स्थाई किया जाना, अर्द्ध-स्थाई से स्थाई किया जाना एवं 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नियमित घोषित कर आर.एस.आर. की परिधि में लाया जाना पूर्णतया वर्जित कर दिया गया है।

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(3)वित्त/व्यय-3/93 दिनांक 16.1.99 द्वारा 31.12.98 तक 10 वर्ष की संतोषप्रद एवं नियमित सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 18.6.98 से 2 वर्ष की संतोषप्रद एवं निरन्तर सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थाई घोषित किये जाने हेतु आदेश प्रसारित किये गये थे। अधिनियम 1999 आ जाने के बाद उक्त दोनों आदेश निष्प्रभावी हो गये हैं। इस विभाग के ध्यान में लाया गया है कि अधिनियम, 1999 आ जाने के बाद भी उक्त विभागीय आदेशों के परिप्रेक्ष्य की आड़ में अर्द्ध-स्थाई, स्थाई एवं नियमित किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही उक्त अधिनियम आ जाने के बाद पूर्णतया अनियमित है।

अतः उक्त अधिनियम के आ जाने के बाद यदि विभाग द्वारा अर्द्ध-स्थाई/स्थाई/नियमित करने की अनियमित कार्यवाही की गई हो तो ऐसी कार्यवाही की समीक्षा कर, की गई अनियमित कार्यवाही को निरस्त कराकर इस विभाग को भी अवगत करावें।

एस.डी./-
(मुन्ना लाल)
विशेषाधिकारी

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ15(ज)(1)2001 /श्रम/प्रमुवसं/1656-1785 दिनांक 12.2.2001

श्रम न्यायालयों द्वारा पारित अवार्डों की पालना के क्रम में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रेषित किये जा रहे कुछ डिक्रीटल प्रस्तावों में श्रमिकों को देय पिछली मजदूरी की राशि की सही दर अंकित नहीं की जाती है जिससे प्रकरणों के परीक्षण व स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होता है।

इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न नियोजनों के लिए समय-समय पर लागू व संशोधित की गई मजदूरी की दरें निम्न प्रकार रही हैं :-

क्र.सं.	मजदूरी की दर प्रभावी/लागू होने की तिथि	अकुशल श्रमिक की प्रतिदिन	मजदूरी रुपये मासिक
1	1 जनवरी, 1980 से	7.00	182.00
2	1 अप्रैल, 1982 से	9.00	234.00
3	16 जनवरी, 1985 से	11.00	286.00
4	1 मार्च, 1987 से	14.00	364.00
5	2 जुलाई, 1990 से	22.00	572.00
6	1 जनवरी, 1995 से	32.00	832.00
7	1 मई, 1998 से	44.00	1144.00
8	16 नवम्बर, 1999 से	60.00	1560.00

अतः समस्त वनाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि श्रम न्यायालयों के अवार्डों की पालनार्थ पिछले वेतन की सही-सही गणना कर डिक्रीटल प्रस्ताव अपने लेखाकार/क0 लेखाकार से परीक्षण उपरान्त स्वयं के व लेखाकार के हस्ताक्षर अंकित कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

एस.डी./-
वन संरक्षक (श्रम एवं विधि)
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग, (व्यय-3 अनुभाग) का परिपत्र क्रमांक प.1(3)वित्त/व्यय-3 /99 जयपुर, दिनांक 13 जून, 2001

विषय :- दैनिक वेतन भोगी व अस्थाई कर्मचारियों के नियमन के संबंध में।

राज्य सरकार ने राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 6/1999) पारित कर दिनांक 7 मई, 1999 से प्रभावी करते हुए किसी भी रूप में दैनिक वेतन अथवा अनुबन्ध पर कर्मचारी रखने को प्रतिबन्धित कर दिया है। इसी अधिनियम की धारा 9 व 11-ग में यह प्रावधान भी किया गया है कि ऐसे कर्मचारी, जो दैनिक वेतन अथवा अनुबन्ध पर कार्यरत हैं, उन्हें नियमितिकरण हेतु अदालत में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा और यदि किसी न्यायालय में दावा चल रहा है तो यह दावा स्वतः ही निरस्त (abate) हो जायेगा।

कानून की उपरोक्त स्थिति को हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही मानकर निर्णय किया है। यह निर्णय दिनांक 21.2.2001 को सिविल अपील संख्या 5057/98 मालूराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (पंचायत समिति भादरा) में हुआ है जिसमें कि कर्मचारी के नियमितिकरण के दावे को निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय की प्रति संलग्न है।

यदि पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत कोई निर्णय कर दिया हो और जिसकी पालना अभी तक नहीं हुई हो, ऐसे निर्णयों में इसी अधिनियम की धारा 9, 11 एवं 19 के प्रावधानों के मद्देनजर नियुक्ति का नियमितिकरण नहीं किया जावे एवं कर्मचारी को दैनिक वेतन पर ही बहाल करने के विषय पर विवेकानुसार निर्णय दिया जाए।

अतः सभी विभागाध्यक्षों एवं अन्य सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे न्यायालयों में इससे संबंधित लंबित मुकदमें अथवा आगे दायर होने वाले मुकदमें में कानून की इस स्थिति को न्यायालय के सामने रखें और साथ ही विभाग के सभी प्रभारी अधिकारियों व अधिवक्ताओं को भी इस बारे में अवगत करावें।

एस.डी./-
(एम.डी.कौरानी)
प्रमुख शासन सचिव

Government of Rajasthan, Finance (Exp. III) Department Circular No. P.1(7)FD/Exp-III /99 Jaipur, dated 17 February, 2003 Office of the Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur endorsement No. F15(J)22/94/Part II/Labour/PCCF/3197-3397 dated 24.6.2003

Sub. : Clarification about Regular status to Work Charged Employees.

After the Work Charged Employees Service Rules, 1964 were repealed by DOP Notification No. F.5(6)DOP/A-11/92 dated 17.2.1995 and after the RAPSAR Act came into being, a doubt has arisen about granting of semi-permanent and permanent status to work charged employees. The doubt has further been confirmed by recent judgement of Rajasthan High Court in the case of Shri Bhawani Singh which has struck down a few Sections of RAPSAR Act 1999, which prohibited a non-regular employee from claiming regular service. The position is clarified as under :-

Section 3 of Work Charged Employees Service Rules, 1964 defines work charged employee and divides them in 3 status/categories viz. (i) permanent status, (2) semi-permanent status, (3) casual status. These rules also laid down that how and when this status will be granted.

Government vide its Circular No. प.1(4) वित्त/व्यय-3/98 dt. 19.12.2000 and प.1(3)वित्त/व्यय-3/99 dt 13.6.2001, after the Work Charged Employees Service Rules, 1964 were repealed, had ordered that work charge employees should not be declared semi-permanent and permanent. Earlier Government vide Circular No. प.1(3)वित्त/व्यय-3/98 dt 4.3.98 & 10.1.99 had indicated that such employees will be regularised. But due to lack of clarity this process is not taking place and position of rules in this regard is not being understood in its proper perspective.

It is clarified that although the Work Charged Employees Service Rules, 1964 were repealed they still continue to govern work charged employees who were employed under these repealed rules and are still in service. As such after completion of 2 years and 10 years satisfactory service, those workers should be declared semi-permanent and permanent respectively. This will be done as per procedure provided in the repealed Work Charged Employees Service Rules, 1964 and under relevant Government circulars. It is also clarified that RAPSAR Act does not come in the way where action is taken as per rules. RAPSAR Act only prohibits an employee from claiming regularisation of his service, it did not prohibit the employer from acting as per rules.

Therefore, it should be clear that appointing authority is free to declare work charged workers semi-permanent and permanent as per repealed Work Charged Employees Service Rules, 1964.

By order of the Governor,
S.D./-
(M.D.Kaurani)
Additional Chief Secretary

*(**भावार्थ** :- RAPSAR Act लागू होने के बाद भी नियुक्ति अधिकारी वर्कचार्ज कर्मचारियों को, वर्कचार्ज सेवा नियम 1964 के अन्तर्गत स्थाई-अर्द्ध स्थाई घोषित कर सकेंगे)*

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) परिपत्र क्रमांक प.3(1)वित्त-1(1)1आ.व्य./2004 जयपुर, दिनांक 20 अगस्त, 2004 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पृष्ठांकन क्रमांकः 3(3)लेखा /ब/प्रमुवसं/04-05/17644 दिनांक 13.12.04

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 266 में यह प्रावधान किया है कि यदि सरकार द्वारा लोअर कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध अपील की जाती है तथा उच्च अदालत द्वारा डिक्री की राशि न्यायालय में जमा कराने की शर्त पर स्थगन दिया जाता है, अथवा अपील स्वीकार करने से पूर्व डिक्री की पूरी राशि अथवा अंश राशि जमा कराने की शर्त लगायी जाती है तो ऐसी स्थिति में डिक्री राशि निम्नांकित बजट शीर्ष से आहरित कर न्यायालय में जमा कराई जानी चाहिये-

8674-सरकार द्वारा की गई प्रतिभूति जमा

101-सरकार द्वारा की गई प्रतिभूति जमा

(01)- न्यायालयों के पास प्रतिभूति जमा राशियां

सामान्यतः संबंधित विभाग अतिरिक्त बजट प्रावधान की अधिकृति अथवा भुगतान स्वीकृति के लिये प्रकरण वित्त (बजट) विभाग को भिजवाते रहे हैं। चूंकि बजट शीर्ष ''8674- सरकार द्वारा की गई प्रतिभूति जमा'' से आहरित राशि व्यय के रूप में नहीं होकर अग्रिम जमा के रूप में है। अतः इस शीर्ष से राशि आहरित कर न्यायालय में जमा कराने हेतु वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट आवंटन करवाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः जिन मामलों में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 266 के अन्तर्गत अग्रिम राशि आहरित किया जाना अपेक्षित हो, ऐसे मामलों में वित्त (व्यय) विभाग से सहमति प्राप्त कर तदानुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा इस बाबत् अग्रिम कार्यवाही करायी जावे। चूंकि अग्रिम राशि के आहरण के लिये बजट आवंटन की आवश्यकता नहीं है, अतः ऐसे मामलों में वित्त (बजट) विभाग को नहीं भिजवाया जावे।

बजट शीर्ष 8674 से आहरित राशि की पंजिका प्रत्येक विभाग में संधारित कराई जानी अपेक्षित है। अपील का निर्णय होने पर इस बजट शीर्ष से आहरित राशि का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 266 के अनुसार तुरन्त समायोजन किया जाना भी आवश्यक है। बजट शीर्ष 8674 से आहरित की जाने वाली राशियों एवं इनके समायोजन पर निगरानी रखने हेतु विभाग में पदस्थापित लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

पूर्व में बजट शीर्ष ''8674101-(01)- न्यायालयों के पास प्रतिभूति जमा राशियां'' से आहरित सभी अग्रिम राशियों की भी पूर्ण सूचना संधारित किया जाना एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 266(3) एवं (4) के अनुसार अविलम्ब उनका नियमानुसार समायोजन कराये जाने की कार्यवाही भी सम्बन्धित विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उक्त परिपत्र की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

एस.डी./-
(सत्य प्रिय गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, (वित्त)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ15(ज) ( ) श्रम/ विप्र/प्रमुवसं/ 1962-2100 दिनांक 5.3.2005
निमित्त :- उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी

विषय :- श्रमिक/कर्मकारों के पेंशन प्रकरणों में समय पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ : विभाग में प्राप्त रिट संख्या

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अनेक याचिका एवं पत्र याचिकाओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गंभीर रूख अख्तियार करते हुए विलम्ब को गम्भीरता से लिया है एवं दोषी से ब्याज वसूलने तक के निर्देश दिये गये हैं।

इस कार्यालय में प्राप्त पेंशन प्रकरणों से संबंधित याचिकाओं/पत्र याचिकाओं से यह जानकारी में आया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के पश्चात् भी अनेक वनमण्डलों द्वारा समय पर श्रमिकों के पेंशन प्रकरण न बनाकर भिजवाने के कारण पेंशन प्रकरण स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं, जिससे अनावश्यक वादकरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस कार्यालय की जानकारी में यह तथ्य भी आया है कि श्रमिक जिसने 10 वर्ष की क्वालीफाई (अर्हकारी) सेवा पूर्ण कर ली है, उसके बावजूद भी उसका स्थाईकरण नहीं होने के कारण पेंशन केस बनाकर नहीं भिजवाया गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित पेंशन नियम 1996 के नियम 14(5) के तहत ऐसे श्रमिकों को जिन्होंने 10

वर्ष की क्वालीफाईंग सेवा पूर्ण की है, पेंशन उद्देश्य के लिये नियमित माने जाने के निर्देश दिये हैं। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त नियम के प्रकाश में तत्काल श्रमिक के उक्त प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करावें ताकि अनावश्यक लिटीगेशन एवं ब्याज भार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

एस.डी./-
वन संरक्षक (श्रम एवं विधि)
राजस्थान, जयपुर।

Government of Rajasthan, Department of Forests order No. F.11(5)Forest/93 Jaipur, Dated 30.3.2005

The Project Tiger Reserve schemes, Ranthambhore and Sariska are centrally sponsored "Project Tiger" schemes. The Government of India, Ministry of Environment and Forests (Project Tiger) have advised the State Government to grant project allowances to the field staff posted in these tiger projects.

The Governor of Rajasthan is pleased to sanction project allowances to the work-charged employees posted in the Ranthambore and Sariska Tiger Reserve areas with effect from 1.4.2004 @ Rs. 350/- per month subject to the following terms and conditions:-

1. Project allowance will be paid till the Government of India provides 100% central assistance for this purpose.
2. The Administrative Department shall ensure advance receipt of the fund from Government of India before payment so that there is no financial liability on the State Government.
3. This allowance should not be included for pensionary purposes.
4. Sanction of this allowance of the work-charged employees posted in these tiger reserves will not constitute a precedent for claiming project allowance by any other work charge staff of the State Government.

These issues with the concurrence of Finance Department's (Rules Division) vide their I.D. No. 1018 dated 30.3.2005

By Order of the Governor,
S.D/-
(C.S. Ratnasamy)
Special Secretary to Government

*(**भावार्थ** : बाघ परियोजना में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मियों को एक अप्रैल, 2004 से 350/- रुपये प्रतिमाह की दर से परियोजना भत्ता देय होगा)*

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ15जी( )04/श्रम/ प्रमुवसं/4629- 4764 दिनांक 24.8.2005
निमित्त :- समस्त वन अधिकारी

विषय :- न्यायालय प्रकरणों की अनुपालना में पुनः सेवा में लिये गये श्रमिकों के अर्द्ध स्थायीकरण प्रस्ताव भिजवाने बाबत्।

न्यायिक प्रकरणों में समय-समय पर होने वाले निर्णयों की पालना में पुनः सेवा में लिये गये श्रमिकों के अर्द्धस्थायीकरण के प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 3489-3570 दिनांक 22.4.2003 के जरिये विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न मण्डलों से प्राप्त होने वाले अर्द्धस्थायीकरण संबंधी प्रस्तावों में अनेक कमियां छोड़ दी जाती हैं जिसके कारण उनकी पूर्ति करवाने में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः भविष्य में किसी भी प्रकरण में अर्द्धस्थायीकरण प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति आवश्यक रूप से की जावेः-

1. श्रमिक का गणना प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए।
2. श्रमिक द्वारा किये गये वास्तविक कार्य दिवसों को नीली स्याही में एवं न्यायालय के निर्णय अनुसार बनने वाले कार्य दिवसों को लाल स्याही में दर्शाया जावे।
3. श्रमिक द्वारा विभागीय योजना अथवा गैर विभागीय योजना में कार्य किया है, इसका उल्लेख होना चाहिए।
4. गणना प्रपत्र में नियोजक के हस्ताक्षर होने चाहिए।
5. गणना प्रपत्र की मूल प्रति भिजवाई जावे।
6. गणना प्रपत्र में श्रमिक के पद एवं जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
7. श्रमिक का कोई अन्य न्यायिक प्रकरण विचाराधीन हो तो उसका उल्लेख होना चाहिए।
8. श्रमिक को रिट के निर्णयाधीन लिया गया है अथवा नहीं, इसका उल्लेख किया जावे।
9. श्रम न्यायालय द्वारा अवार्ड पारित करने पर उसके विरूद्ध विभाग द्वारा रिट दायर की गई हो और रिट में अवार्ड को संशोधित कर दिया गया हो तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार ही गणना प्रपत्र तैयार कर भिजवायें।
10. यदि किसी अवधि का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें।
11. अर्द्ध स्थायीकरण से संबंधित कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है अथवा नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में इस कार्यालय को अर्द्ध स्थायीकरण के प्रस्ताव प्रेषित करते समय उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना की जावे।

भवदीय,
एस.डी./-
उप वन संरक्षक,
(श्रम एवं विधि)
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार, कार्मिक (क-3) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.3(2)कार्मिक/क-3/जांच/ 04/ जयपुर, दिनांक 22 अक्टूबर, 2005

विषय :- वर्कचार्ज कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1(3)वित्त/व्यय-3/93 दिनांक 20.9.1995 के द्वारा नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों के संबंध में अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति राज0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियमों के अनुसार जाँच कार्यवाही की जावेगी।

एस.डी./-
शासन उप सचिव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ15(ज) ( )03/श्रम /प्रमुवसं/525-660 दिनांक 6.2.2006

विषय :- नियमित किए गए वर्कचार्ज कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति प्रकरण भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि समय-समय पर वित्त विभाग, राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियमित किए गए वर्कचार्ज कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति के प्रकरण इस अनुभाग को भिजवाये जाते हैं। जबकि नियमित किए गए वर्कचार्ज कर्मचारियों को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(3)वित्त/व्यय-3/93 दिनांक 28.2.94, 20.9.95, 4.3.98 एवं 16.1.99 से राजस्थान सेवा नियमों की परिधि में लाया जा चुका है।

अतः नियमित किये गये कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण एवं अन्य प्रस्थापन संबंधी प्रकरण नियमानुसार स्वीकृति हेतु वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किए जावें।

भवदीय,
एस.डी.,
वन संरक्षक (श्रम एवं विधि)
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ15ज( )06/श्रम /प्रमुवसं/1924 दिनांक 4.4.2006

विषय :- वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत विचाराधीन दावों में समुचित जवाब प्रस्तुत करने के संबंध में।

वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधान वन विभाग पर लागू नहीं होने के संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 1163-1293 दिनांक 27.1.01 एवं परिपत्र क्रमांक 1358-1457 दिनांक 12.2.02 से समस्त वनाधिकारियों को अवगत कराते हुए वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के

अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरणों के जरिये अधिवक्ता क्षेत्राधिकार नहीं होने संबंधी आपत्ति उठाते हुए प्रकरण खारिज कराने के निर्देश दिए गये थे।

कुछ वन मण्डलों में क्षेत्राधिकार के आधार पर विभाग के पक्ष में प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम न्यायालय ने निर्णय दिये हैं, लेकिन अभी भी अनेक वन मण्डलों में प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम, न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं एवं विभाग के विरूद्ध निर्णय भी पारित हो रहे हैं। जो कि संबंधित अधिकारियों की अनभिज्ञता अथवा लापरवाही की वजह से होना प्रतीत होता है।

अतः समस्त वनाधिकारियों का ध्यान पुनः इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक 1358-1457 दिनांक 12.2.2002 की ओर आकर्षित कर निर्देश दिए जाते हैं कि प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम का क्षेत्राधिकार वन विभाग पर लागू नहीं होने के संबंध में आपत्ति उठाते हुए प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम न्यायालय, भरतपुर के निर्णय दिनांक 25.8.2001 की प्रति राजकीय अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत कर विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण करवायें। कृपया इन निर्देशों को गंभीरता से पालना करें।

एस.डी./-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम अनुभाग) का परिपत्र सं.प.14(1)वित्त/नियम/2006 जयपुर, दिनांक 4.9.2006 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पृष्ठांकन संख्याः एफ15(ज)(38)05/श्रम/ प्रमुवसं/5262-5397 दिनांक 26.10.2006

विषय :- 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन परिलाभ स्वीकृत करने बाबत्।

वित्त विभाग में समय-समय पर ऐसे प्रकरण प्राप्त होते रहे हैं जिनमें दिनांक 1.10.1996 के पश्चात् 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूर्ण कर चुके वर्कचार्ज कर्मियों को सी.पी.एफ. का भुगतान किए जाने के बावजूद प्रकरण को पुनः खोलकर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत पेंशनरी परिलाभ प्रस्तावित किये जाते हैं।

निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा भी वर्कचार्ज कर्मचारियों के बारे में सी.पी.एफ. की राशि की स्थानान्तरण प्रविष्टि (TE) की अनुमति वित्त विभाग से मांगी जा रही है। इस प्रकार के प्रकरणों का वित्त विभाग में परीक्षण किया गया।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 14 के नीचे अंकित राजकीय निर्णय संख्या 1 के बिन्दु संख्या 5 में निम्न प्रावधान किया हुआ है।

''(5) ये आदेश उन वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन पर वर्क चार्ज्ड नियम, 1964 (अब निरस्त हो गए) या संबंधित विभागों द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेश लागू होते थे तथा जिन्होंने न्यूनतम 10 (दस) वर्षों की अर्हकारी सेवा की है तथा जो उन पर प्रभावशाली वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे थे, उन्हें पेंशन स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ नियमित किया गया समझा जाएगा।''

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि ऐसे वर्कचार्ज कर्मचारी, जिनकी 1.10.96 के पश्चात् 10 वर्ष से अधिक की पेंशन योग्य सेवा हो गई है, उनके ऊपर स्वतः ही उक्त पेंशन नियम लागू हो गए हैं। अतः ऐसी स्थिति में वे पेंशनरी लाभों के पात्र हैं एवं ऐसे प्रकरणों को वित्त विभाग में अनुमोदन हेतु सन्दर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। इनका निपटारा संबंधित विभाग एवं निदेशक, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जा सकता है। नियमों में उक्त स्पष्ट प्रावधान के बावजूद भी यदि कर्मचारी को सी.पी.एफ. का भुगतान कर दिया गया हो तो ऐसे प्रकरणों को पुनः खोला जाकर सी.पी.एफ. की भुगतान की गई राशि को पेंशनरी लाभों में समायोजन करते हुए पेंशनरी परिलाभ स्वीकृत कर दिए जावें। यदि सीपीएफ का भुगतान नहीं किया गया हो तो नियमानुसार निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा अपने स्तर से स्थानान्तरण प्रविष्टि

जारी कर दी जावे एवं ऐसे कर्मचारियों को बिना किसी विलम्ब के पेंशनरी परिलाभ स्वीकृत किए जावें। यदि कर्मचारी की बिना पेंशनरी लाभ प्राप्त हुए मृत्यु हो गई हो तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी की विधवा अथवा नियमानुसार आश्रित द्वारा पेंशन/परिवार पेंशन की मांग करने पर प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जावे।

एस.डी./-
(सुभाष गर्ग)
वित्त सचिव-III

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम अनुभाग) परिपत्र क्रमांकः प.14(1)वित्त/नियम/2006 जयपुर, दिनांक 25.9.2006 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पृष्ठांकन एफ.15(ज)(22)94/पार्ट-II/श्रम/ प्रमुवसं/5827-5962 दिनांक 20.11.2006

विषय :- नियमित घोषित किए गए वर्कचार्ज कर्मियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के समय संचित उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान करने के संबंध में।

वर्कचार्ज सेवा से दिनांक 1.4.94 को नियमित घोषित किए गए वर्कचार्ज कर्मियों को सेवानिवृत्ति के समय बकाया उपार्जित अवकाश का लाभ अन्य राज्य कर्मचारियों की भाँति देने बाबत् वित्त विभाग के आदेश प.1(3)वित्त/व्यय-3/93 दिनांक 20.9.95 के द्वारा सुविधा प्रदान की हुई है। उक्त सुविधा दिनांक 1.4.94 से पूर्व नियमित घोषित किए गए वर्कचार्ज कर्मियों को देने बाबत् व्यवस्था निम्न प्रकार की जाती है :-

''वित्त विभाग की सहमति से वर्कचार्ज से नियमित किये गये कर्मचारियों को, उनके नियमित किये जाने की तारीख को उनके खाते में अवशेष उपार्जित अवकाश (जो 45 दिवस से अधिक नहीं होगा) तथा उसके बाद अर्जित एवं संचित उपार्जित अवकाश में से सेवानिवृत्ति के समय शेष रहे उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान का लाभ अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति देय होगा।''

एस.डी./-
(सुभाष गर्ग)
वित्त सचिव-III

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ15ज(312)01/ श्रम/प्रमुवसं/6342 दिनांक 21.11.2006

वन विभाग में वर्कचार्ज श्रमिकों की सेवा शर्तों के नियमन हेतु प्रभावशाली स्थाई आदेश 1973 के नियम 7 (पृष्ठ संख्या 7) में सेवा में भर्ती किए गये व्यक्तियों की जन्म तारीख अभिलिखित करने के संबंध में विस्तृत दिशा- निर्देश दिए हुए हैं। फिर भी कतिपय प्रकरणों में ऐसा देखने में आया है कि नियोजक अधिकारी (संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/भू- संरक्षण अधिकारी/क्षेत्र निदेशक) द्वारा श्रमिकों की सेवा पुस्तिका बनाते समय उसकी जन्म तिथि अभिलिखित करने में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई है।

इस क्रम में अनेक वन मण्डलों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर वर्कचार्ज कर्मचारियों के सेवाभिलेखों में अभिलिखित की गई जन्म तिथि की जाँच करवाने पर पाया गया कि कुछ मामलों में जन्म तिथि अभिलिखित करते समय ही काट-छांट कर दी गई, कुछ प्रकरणों में श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उसके सेवाभिलेख में अभिलिखित की गई जन्म तिथि संदिग्ध प्रतीत होने पर कालांतर में मेडिकल परीक्षण के आधार पर एवं अन्य कारणों

से बदल दी गई, अनेक प्रकरणों में नियोजक द्वारा जन्म तिथि प्रमाणित ही नहीं की गई तथा कुछ प्रकरणों में नियोजक अधिकारी द्वारा पूर्व में अभिलिखित जन्म तिथि अपने स्तर से बदल दी गई। जबकि स्थायी आदेश 1973 एवं राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8(2)(ग) में स्पष्ट प्रावधान है कि जब एक कार्यदत्त (वर्कचार्ज्ड) कर्मचारी, जिसे राज्य सरकार के अधीन किसी पर कार्यदत्त पदों को नियमित पदों के बदल दिये जाने के कारण नियुक्त किया जावे, तो उसके संबंध में जन्म तिथि वह स्वीकार की जावेगी जो कार्यदत्त पद पर कार्य करते समय बनायी गयी उसकी सेवापुस्तिका/सेवा विवरणिका में अंकित होगी तथा इसमे परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

अतः आप सभी को निर्देश दिये जाते हैं कि आपके अधीन कार्यरत समस्त वर्कचार्ज कर्मचारियों के सेवाभिलेखों की जाँच करें तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि के संबंध में उपरोक्त अनुसार कोई कमी पायी जाने पर निम्न कार्यवाही करें:-

1. सेवा पुस्तिका में अभिलिखित की गई जन्म तिथि को सामान्यतः परिवर्तित/संशोधित नहीं करें।
2. कर्मचारियों की सेवापुस्तिका बनाते समय उनकी जन्म तिथि की प्रविष्ठि करने में अत्यधिक सावधानी बरतें यदि किसी कर्मकार की जन्म तिथि के संबंध में कोई संशय हो तो उसका समुचित निराकरण करने के उपरांत ही सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जन्म तिथि की प्रविष्ठि करें ताकि भविष्य में कोई कठिनाई पैदा नहीं हो।
3. ऐसे प्रकरण जिनमें किन्हीं कारणों से जन्म तिथि अभिलिखित करने के पश्चात् बदल दी गई हो उन प्रकरणों में राज्य सरकार/वित्त विभाग से नियमन कराने की कार्यवाही करें।
4. ऐसे प्रकरण जिनमें श्रमिक की सेवापुस्तिका में जन्म तिथि अभिलिखित करते समय लिपिकीय त्रुटि (काट छांट) हुई है उक्त प्रकरणों में सामान्य वित्तीय लेखा नियम 131 के तहत अपने विभागाध्यक्ष को पूर्ण प्रकरण प्रेषित करें एवं स्वीकृति प्राप्त कर कांटछांट को लघु हस्ताक्षर कर प्रमाणित करें।
5. जिन प्रकरणों किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लापरवाही से जन्म तिथि बदल दी गई है उनमें विस्तार से जांच कर दोषी लोकसेवकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करें और दोषी पाये जाने वाले लोकसेवकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे ताकि वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय उनके पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब एवं कठिनाई उत्पन्न नहीं हो।

एस.डी./-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ.15(ज)(22)94 /श्रम/प्रमुवसं/2066 दिनांक 4.6.2007

विषय :- वर्कचार्ज कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थाई एवं स्थाई करने के संबंध में।

पूर्व में इस कार्यालय के समख्यंक पत्रांक 3470-3589 दिनांक 22.4.2003 एवं पत्रांक 5387- 5507 दिनांक 28.6.2003 द्वारा दिए गए निर्देशों का अधिलंघन करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ1(7)वित्त व्यय-iii/99 दिनांक 17.2.2003 एवं परिपत्र क्रमांक प.14(3)वित्त /नियम/2006 दिनांक 29.9.2006 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में पुनः समस्त वन अधिकारियों से निवेदन किया जाता है कि :-

1. 2 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक श्रमिकों को अर्द्धस्थाई तथा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले वर्कचार्ज कर्मचारियों को समय-समय पर नियमानुसार स्थाई घोषित किया जावे।

2. वर्कचार्ज कर्मचारियों को अर्द्धस्थाई/स्थाई तो उक्तानुसार घोषित किया जावे परन्तु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.2.2003 के निर्देशानुसार नियमित नहीं किया जावे।

3. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(क)वित्त व्यय-iii/93 दिनांक 4.3.98 के अनुसार अर्द्ध स्थाई होने की दिनांक से दिनांक 31.12.97 तक का वेतन नोशनल आधार पर होगा एवं दिनांक 31.12.1997 तक का कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। इन अर्द्ध स्थाई किये गये कर्मचारियों को दिनांक 1.1.98 से निर्धारित वेतन श्रृंखला में वास्तविक भुगतान देय होगा।

एस.डी./-
वन संरक्षक (श्रम एवं विधि)
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ15ज(40)96/ श्रम/प्रमुवसं/2033 दिनांक 24.4.2008

विषय :- विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव विधि विभाग के परिपत्र दिनांक 14.7.97 के अनुसार भिजवाने बाबत्।

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रकरणों में पारित निर्णय/आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव विधि विभाग के परिपत्र क्रमांक पत्र15(24)राज/वाद/93 दिनांक 14.7.97 के अनुसार निर्धारित समयावधि में नहीं भिजवाये जा रहे हैं जबकि कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 7691-7811 दिनांक 22.10.1997 द्वारा पृथक से भी निर्देश जारी किये गये थे कि प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में समयावधि में प्राप्त नहीं होने के कारण निर्णय/आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अग्रिम विनिश्चय लिये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है जिसे राज्य सरकार ने अन्यथा लिया है।

अतः समस्त वनाधिकारियों को इस परिपत्र के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि निर्णय/आदेश/अवार्ड के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव संलग्न विधि विभाग के परिपत्र दिनांक 14.7.97 के अनुसार निर्धारित समयावधि से 15 दिवस पूर्व अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ15(ज)(25)08/श्रम/प्रमुवसं/ 5841 दिनांक 24.11.2008

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि वनाधिकारियों के द्वारा न्यायालय प्रकरण एवं जांच सम्बन्धी प्रकरणों का साधारणतया समय पर निस्तारण नहीं कर अत्यधिक विलम्ब किया जाता है। अधिकारियों के स्थानान्तरण के समय में भी चार्जनोट के माध्यम से उनके बाद आने वाले अधिकारियों का ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता है। सम्बन्धित कार्यालय के लिपिकों के द्वारा भी इन महत्वपूर्ण प्रकरणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है एवं पत्रावली समय पर अधिकारियों के ध्यान में नहीं लाई जाती है। इस कारण सभी अधिकारियों का एवं कार्यालयों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने कार्यालयों का वर्ष में कम से कम 2 बार निरीक्षण करें एवं पेन्डिंग पत्रावलियों का निरीक्षण कर उनका शीघ्र निस्तारण करें।

निस्तारण नहीं होने वाले पत्रादि प्रकरण कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय तथा न्यायालय में अवमानना प्रकरण आने पर आनन-फानन में त्रुटिपूर्ण रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं एवं विभाग द्वारा भी उन प्रकरणों को राज्य सरकार के प्रशासनिक, वित्त एवं विधि विभाग के ध्यान में लाया जाता है। पक्षान्तर में ऐसे प्रकरण में हुए विलंब को काफी गंभीरता से लिया जाता है एवं समय पर निस्तारण नहीं होने से कई प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में न्यायालय में जवाबदावा देना आसान नहीं होता है। इन प्रकरणों में साधारणतया अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होते हैं तथा वित्तीय हानि की भरपाई के लिये सम्बन्धित कर्मकार से वसूली करने की कार्यवाही विभाग द्वारा करनी पड़ती है।

इस परिपत्र के माध्यम से पुनः सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे वृहद स्तर पर अभियान अपने कार्यालयों में निश्चित अवधि के व्यवधान पर निरंतर रूप से चलाये जिससे कि पुराने प्रकरणों का समय पर निस्तारण हो सके। विशेषकर जांच एवं न्यायिक प्रकरणों को निपटाने के लिये सम्बन्धित लिपिकों एवं कार्यालय सहायकों को उत्तरदायी बनाया जावे एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध तुरन्त कार्यवाही की जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

श्रम (आई.डी.एक्ट)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ2( )विधि/ प्रमुवसं/6213-6363 जयपुर, दिनांक 16.8.2001

विषय :- उच्चतम न्यायालय का निर्णय - औद्योगिक विवाद अधिनियम में ''उद्योग'' की श्रेणी में वन विभाग का सम्मिलित नहीं होना।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 (जे) में ''उद्योग'' (Industry) को परिभाषित किया गया है, जिसमें नियोजकों के व्यापार, व्यवसाय, निर्माण इकाई को सम्मिलित करते हुए उसमें श्रमिक सेवा, व्यापार, नियोजन, हस्तशिल्प या उसके कार्यों को उद्योग माना गया है। ऐसे श्रमिकों की सेवा शर्तें, छंटनी आदि की कार्यवाही इसी के तहत सम्पन्न होती है।

संविधान के अध्याय 4 के अनुच्छेद 48 ए में राज्य नीति के अनुसरण में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह देश में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करे।'' सार्वभौमिक राज्य की उक्त व्यवस्था के क्रम में ही एवं संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत वन विभाग का वन विकास, वन्य जीव संरक्षण, वानिकी योजनायें एवं वृक्षारोपण का अनवरत कार्य करने के लिये विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी संलग्न रहे हैं।

सार्वभौमिक राज्य के कार्य एवं कृत्य के बावजूद विभाग की इस दलील को नजरअन्दाज किया जाता रहा कि विभाग के उक्त कृत्य उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं एवं तद्नुरूप विभाग के विरूद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं तत्सम्बन्धी अन्य अधिनियमों में वादकरण में अनावश्यक श्रम, समय एवं धन व्यतीत होता रहा।

उच्चतम न्यायालय में हाल ही में गुजरात राज्य व अन्य बनाम प्रीतम सिंह परमार जे.टी. 2001 (3)एस.सी. 326 माननीय न्यायाधीश श्री जी.वी.पटनायक एवं श्री वी.एन.अग्रवाल की पीठ ने दिनांक 31.1.2001 को यह निर्णीत किया है कि राज्य सरकार का वन विभाग उद्योग नहीं है। सामान्यतः राज्य सरकार को कोई विभाग उद्योग नहीं कहा जा सकता एवं वास्तव में उनके कृत्य सार्वभौमिक कार्य हैं। उक्त निर्णय की प्रति संलग्न है।

इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाम के समाशीटी व अन्य (ए.आई.आर. 1997 सुप्रीम कोर्ट 2663) में भी न्यायालय ने सरकारी विभाग, सिंचाई, संचार के कार्यों को नीति निर्देशक तत्वों की पालना में किये विधायी एवं कार्यपालक कार्य मानते हुए इन्हें उद्योग नहीं माना है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में लेख है कि प्रत्येक प्रकरण चाहे वे समझौता अधिकारी, श्रम न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हो, में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख जवाब देने, गवाही देने, शपथ पत्र प्रस्तुत बहस आदि में किया जावे कि वन विभाग के कार्य, योजनायें आदि उद्योग नहीं हैं एवं इसके द्वारा किये जा रहे कार्य राज्य के सार्वभौमिक कृत्य हैं तथा उद्योग विवाद अधिनियम के प्रावधान इस पर लागू नहीं होने एवं न्यायिक दृष्टान्त के संदर्भ में श्रमिक का प्रार्थना पत्र/वाद/अपील निरस्त योग्य है।

कृपया इसकी प्राप्ति भेजें।

हस्ताक्षर/-
वन संरक्षक, (श्रम एवं विधि)
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ15(ज)श्रवि/ विप्र/प्रमुवसं/2564 -664 दिनांक 24.4.2002

विषय :- श्रम न्यायालय द्वारा वन विभाग को उद्योग की श्रेणी में नहीं मानने बाबत्।

इस कार्यालय द्वारा विभाग के विरूद्ध चल रहे श्रम प्रकरणों के समुचित व ठोस प्रतिरक्षण एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु समय-समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं। इसी क्रम में परिपत्र क्रमांकः एफ2 विधि/प्रमुवसं/6212-6363 दिनांक 16.8.01 व एफ15(ज)श्रम/प्रमुवसं/02/2878- 15.3.02 द्वारा भी दिशा- निर्देश जारी किये गये व समय-समय पर बैठकों के माध्यम से भी वनाधिकारियों को एतदर्थ निर्देश दिये गये थे जिनसे विभाग के कार्य सम्प्रभु श्रेणी के व वाणिज्यिक क्रिया कलापों से सम्बन्धित नहीं होने के आधार पर श्रम न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में आपत्तियाँ दर्ज कराते हुए राज्य हित में निर्णीत कराने हेतु लिखा गया था और इस सम्बन्ध में जे.टी. 2001 (3)एस.सी.पेज326 स्टेट ऑफ गुजरात बनाम प्रतम सिंह नरसिंह परमार का न्यायिक दृष्टान्त भी आधार रूप में प्रेषित किया गया था।

उक्त क्रम में वन मण्डल भरतपुर द्वारा पहल की जाकर विभाग के सम्प्रभु कार्यों का उल्लेख करते हुए व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आधार पर 6 प्रकरण राज्य हित में निर्णित कराये गये हैं जिनमें श्रम न्यायालय भरतपुर ने वन विभाग को उद्योग की श्रेणी में नहीं मानकर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना अपेक्षित नहीं मानी है। इसके लिए वन मण्डल भरतपुर प्रशंसा का पात्र है। श्रम न्यायालय भरतपुर द्वारा एल सी आर 176/89 अध्यक्ष वन विभाग कर्मचारी यूनियन, भरतपुर बनाम रेंजर वन विभाग भरतपुर में दिनांक 15.3.2002 को पारित अवार्ड में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधान विभाग पर लागू नहीं होने का अवार्ड पारित किया है एवं इसके किसी प्रावधान की पालना की आवश्यकता नहीं बताते हुए विभाग के पक्ष में निर्णय दिया है। जिसके कुछ मुख्य अंश/ उद्धरण निम्न प्रकार हैं :-

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन कर लिया है अधिनियम की धारा 2 (जे) में उद्योग को परिभाषित किया गया है जिसमें नियोजकों के व्यापार, व्यवसाय, निर्माण इकाई को सम्मिलित करते हुए उसमें श्रमिक सेवा, व्यापार, नियोजन, हस्तशिल्प या उसके कार्यों को उद्योग माना गया है ..... संविधान अध्याय 4 के अनुच्छेद 48 ए में राज्य नीति के अनुसरण में राज्य का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह देश में पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करे, सार्वभौम राज्य की उक्त व्यवस्था के क्रम में ही संविधान के अनुच्छेद

166 के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वन विकास, वन्य जीव संरक्षण, वानिकी योजनाएं एवं वृक्षारोपण का कार्य करने के लिए विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्य पर रखे जाते हैं, सार्वभौम राज्य का यह कृत्य होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम प्रीतम सिंह नरसिंह परमार जे.टी. 2001 (3)एस.सी. पेज 326 जिसका प्रकाशन 2001 सी.एल.आर. 968 में भी हुआ है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि राज्य सरकार का वन विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है। सामान्यतः राज्य सरकार का कोई विभाग उद्योग नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वास्तव में उनके कृत्य सार्वभौमिक कार्य हैं, इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक्जीक्यूटिव इंजिनियर बनाम के सोमासेटी व अन्य ए.आर.आर. 1997 उच्चतम न्यायालय 2663 में भी सरकारी विभाग, सिंचाई, संचार के कार्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व की पालना में किया गया विधायी एवं कार्यपालक कार्य मानते हुए उद्योग नहीं माना गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर ही माननीय बम्बई उच्च न्यायालय खण्ड पीठ द्वारा 2002 (1) सी.एल.आर. 383 हरिभाऊ बनाम महाराष्ट्र राज्य से भी इस सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है कि वन विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है जिससे हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में हमारी राय में राज्य का वन विभाग, उसके कार्य योजना आदि को मध्यनजर रखते हुए उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है। वन विभाग द्वारा किये गये एवं किये जा रहे कार्य राज्य के सार्वभौमिक कृत्य हैं तथा अधिनियम के प्रावधान इन पर लागू नहीं होते हैं। जहाँ तक न्यायालय हाजा को विवाद अधिनिर्णीत किये जाने का प्रश्न है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वन विभाग को उद्योग मान लिया गया हो। इस प्रकार उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टान्त परिप्रेक्ष्य में हमारी राय में अप्रार्थी वन विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है।

उक्त प्रकार माननीय श्रम न्यायालय द्वारा अवार्ड में विवेचन देते हुए निम्न प्रकार निर्णय पारित किया, इस अवार्ड का निष्कर्ष / अन्तिम पैरा / क्रियात्मक भाग निम्न प्रकार है :-

''अप्रार्थी वन विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है। इस कारण प्रस्तुत प्रकरण में कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न नहीं होता है तथा अधिनियम के किसी प्रावधान की पालना किया जाना भी आवश्यक नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण कोई राहत प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। अतः श्रमिकगण रघुवीर व लाखन कोई अनुतोष प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उभय पक्ष खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।''

इसी प्रकार श्रम न्यायालय भरतपुर ने एल.सी.आर. 188/93 श्री रोशन लाल बनाम मण्डल वन अधिकारी, भरतपुर में भी उक्त प्रकार विवेचन करते हुए दिनांक 20.3.2002 को विभाग पक्ष में उद्योग परिभाषा से बाहर मानते हुए अवार्ड पारित किया जिसका क्रियात्मक भाग निम्न प्रकार है :-

''अप्रार्थी वन विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है। इस कारण प्रस्तुत प्रकरण में कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न नहीं होता है तथा अधिनियम के किसी भी प्रावधान की पालना किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रार्थी की सेवा मुक्ति अनुचित एवं अवैध होना भी प्रमाणित नहीं होती है। इस कारण प्रार्थी कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी प्रमाणित नहीं होता है। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

इस प्रकार वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय जे.टी. 2001 (3)एस.सी. 326 गुजरात राज्य बनाम प्रीतम सिंह नरसिंह परमार में सुस्थापित सिद्धान्त कि वन विभाग उद्योग परिभाषा में नहीं आता, के पश्चात् इसी आधार पर बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा हरिभाऊ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2002 (1)सी.एल.आर. 383 में एवं अब श्रम न्यायालय द्वारा 6 एल.सी.आर. प्रकरणों में भी यह माना जा चुका है कि राज्य का वन विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधान विभाग पर प्रभावी नहीं होते हैं।

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रकरण राज्य बनाम रमा देवी को इसी आधार पर श्रम न्यायालय में पुनः प्रति प्रेषित किया गया है कि चूंकि वन विभाग उद्योग होने/ नहीं होने का प्रश्न प्रकरण की रूट तक जाता है, अतः श्रम न्यायालय प्रथमतः विभाग को उक्त प्रकार आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए इस प्रश्न को निर्णीत करें।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय व अब श्रम न्यायालय द्वारा भी वन विभाग के सार्वभौमिक कृत्यों व कार्य प्रकृति के कारण यह निर्णय दिये जा चुके हैं कि विभाग पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि समस्त लम्बित श्रम प्रकरणों में उक्त प्रकार निर्णीत न्यायिक दृष्टान्तों/निर्णयों का

अवलम्बन लेते हुए प्रभावी पैरवी हेतु अपने अधीनस्थ प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करावें व राज्य हित में प्रकरणों को निर्णित कराने के प्रभावी प्रयत्न करें। निर्देशों की पालना सुदृढ़ता के साथ की जावे।

एस.डी./-
वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि, जयपुर

राजस्थान सरकार, श्रम विभाग का परिपत्र क्रमांकः एफ8(1)वर्क्स/कमेटी/2000/6897-6929 जयपुर, दिनांक 29.6.2000 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पृष्ठांकन क्रमांक एफ15(ज)( ) 2001/श्रम/प्रमुवसं/11111-11211 दिनांक 25.10.2002

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36 की उपधारा-3 में यह प्रावधान है कि समझौता कार्यवाही में किसी भी पक्षकार की ओर से लीगल प्रेक्टिशनर्स प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। किन्तु व्यवहार में यह देखा गया है कि विभाग की त्रिपक्षीय समझौता कार्यवाही में प्रबन्धक पक्ष का कामगार पक्ष की ओर से अधिवक्ता या विधि विशेषज्ञ प्रतिनिधित्व करते हैं परिणामस्वरूप जिस भावना से अधिनियम में धारा 36 (3) का प्रावधान रखा गया है, उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है और समझौता कार्यवाही में न्यायालय की भांति विधिक दलीलों और नजीरों का दृश्य देखने में आता है।

माननीय श्रम मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल की 23वीं बैठक में इस बिन्दु पर सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों, नियोजक प्रतिनिधियों एवं स्वतंत्र प्रतिनिधियों के मध्य गहन विचार-विमर्श किया गया और बैठक में सभी पक्षों की सहमति उपरांत मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36 (3) में उल्लेखित प्रावधान की प्रबंधक/यूनियन/कामगार पक्ष द्वारा पालना सुनिश्चित की जावेगी अर्थात् समझौता कार्यवाही में किसी भी पक्ष की ओर से लीगल प्रेक्टिशनर्स द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जावेगा।

अतः अधिनियम के उल्लेखित प्रावधान तथा सलाहकार मण्डल में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

हस्ताक्षर/-
(बी.बी.महान्ति)
श्रम आयुक्त
राजस्थान सरकार।

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग, (नियम अनुभाग) परिपत्र क्रमांकः सं.प.14(5)वित्त/नियम/ 2006 जयपुर, दिनांक 24 अगस्त, 2006

विषय :- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के विभिन्न प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण सेवा से हटाये गये दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को श्रम न्यायालयों/उच्च न्यायालय इत्यादि के निर्णय की पालना में उक्त अधिनियम की धारा 25-एफ एवं जी की अनुपालना करने बाबत्।

इंजीनियरिंग विभागों एवं वन विभाग द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17-बी के तहत भुगतान हेतु स्वीकृति के लिए काफी

प्रकरण वित्त विभाग को प्राप्त हो रहे हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17-बी एक आज्ञापरक धारा है जिसके अन्तर्गत श्रम न्यायालय आदि के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने के दौरान छंटनी के समय प्राप्त मजदूरी की दर से भुगतान करना होता है। न्यायालय द्वारा 17-बी के तहत आदेश पारित किए जाने के बाद जिसकी पालना किया जाना आवश्यक होता है। वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद भी ऐसे सभी मामलों में भुगतान की स्वीकृति दे दी जाती है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17-बी के तहत दिए गए न्यायिक निर्णयों की पालना समय पर सुनिश्चित करने के हेतु प्रशासनिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव भुगतान स्वीकृत करने हेतु अधिकृत होंगे बशर्ते जिस अवधि के लिए भुगतान किया जा रहा है उस अवधि के लिए कर्मकार से अन्यत्र कार्य नहीं करने बाबत् शपथ-पत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्राप्त करें तथा श्रमिक द्वारा न्यायालय में दिये शपथ-पत्र की पुष्टि कर ली गई हो। इसके अलावा छंटनी के समय श्रमिक को देय मजदूरी का भी सत्यापन किया जावेगा।

एस.डी./-
(सुभाष गर्ग)
वित्त सचिव-III

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम अनुभाग) का पत्रांकः सं.प.14(9)वित्त/नियम/2006 जयपुर, दिनांक 7 नवम्बर, 2006 निमित्त :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

विषय :- औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ की पालना किए बिना श्रमिकों को हटाने बाबत्।

महोदय,

श्रम न्यायालयों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ की पालना किए बिना छंटनीशुदा श्रमिकों को बहाल करने के निरन्तर निर्देश दिए जा रहे हैं। विभाग द्वारा विभागीय पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रखने के कारण ऐसे प्रकरण राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णित हो रहे हैं। यहां तक कि श्रमिकों द्वारा विभाग में लगातार काम करने के शपथ-पत्र का भी विभाग द्वारा खण्डन नहीं किया जाता है और ऐसी स्थिति में यह भी सुनिश्चित करना कठिन होगा कि क्या श्रमिक ने विभाग में वास्तव में कार्य किया है एवं सेवा में बहाल करते समय किस प्रकार से उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी कि बहाल किए जाने वाला वही व्यक्ति है जिसको पूर्व में विभाग में नियोजित किया गया था।

विभाग कृपया उक्त प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनावें:-

(1) विभाग से ऐसे सभी प्रकरणों में अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जांच एक माह की अवधि में पूर्ण करके अनुशासनात्मक कार्यवाही करके अवगत कराया जावे।

(2) श्रमिकों से संबंधित जितने भी वाद लम्बित हैं या जिनकी अनुपालना की सूची तैयार कर वित्त विभाग को भिजवाई जावे।

(3) संबंधित ऐसे सभी मामले वित्तीय सलाहकार के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किए जावें। वित्तीय सलाहकार ऐसे मामलों एवं श्रमिकों का विवरण संधारित करेंगे तथा वित्तीय सलाहकार द्वारा रजिस्टर में इन्द्राज करने के उपरान्त ही ऐसे निर्णयों की अनुपालना की स्वीकृति जारी की जा सकेगी। वित्तीय सलाहकार ऐसे सभी मामलों की सूची वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(4) ऐसे मामलों में जिनमें यह प्रतीत हो कि विभाग के अधिकारी श्रमिकों को अवांछित लाभ पहुंचाने के लिये संलिप्त हैं, तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से कराई जावे।

भवदीय,
एस.डी./-
(एम.एल.गुप्ता)
विशेषाधिकारी-प्रथम

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ15ज( )08/श्रम/ प्रमुवसं/997- 1127 दिनांक 15.3.2008
निमित्त :- समस्त वनाधिकारीगण

विषय :- न्यायालय प्रकरणों में आई.डी.एक्ट की धारा 25 एफ की पालना बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत अनुरोध है कि न्यायालय प्रकरणों में डिक्रीटल राशि के वित्तीय भुगतान की स्वीकृति अथवा श्रमिक को कार्य पर लेने की स्वीकृति इत्यादि हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा डिक्रीटल राशि के वित्तीय भुगतान एवं श्रमिक को कार्य पर लेने की स्वीकृति सशर्त जारी करने के साथ संबंधित श्रमिक को आई.डी.एक्ट की धारा 25 एफ की पालना करते हुए सेवा से हटाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

उक्त शर्त की पालना हेतु इस कार्यालय द्वारा उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी गणों को लिखने पर सामान्यतः यह अवगत कराया जाता है कि 25 एफ की पालना कर श्रमिक को कार्य से पृथक करना संभव नहीं है क्योंकि प्रार्थी श्रमिक मण्डल में सबसे कनिष्ठ नहीं है जबकि वांछित यह है कि प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ कितने श्रमिक वन मण्डल में कार्यरत हैं, उनकी संख्या बतायी जावें।

अतः ऐसे प्रकरणों में संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षकगण द्वारा इस कार्यालय को भिजवायी जाने वाले रिपोर्ट में संबंधित श्रमिक से कनिष्ठ कार्यरत श्रमिकों की संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिये।

एस.डी./-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

'आश्विन शुक्ला दशमी' को दिव्य वृक्ष 'शमी' (खेजड़ी) पूजन का विधान है। राजस्थान का 'राज्यवृक्ष' एवम् मरुस्थल में 'कल्पवृक्ष' के नाम से जाने जाना वाला यह वृक्ष पापों को शमन करने वाला कहा गया है।

शमी शमम् मे पापं, शमी लोहित काष्ठ का।
धारिण्यर्जुन वाणानां, शमस्य प्रिय वादिनी।।

पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शमी में माँ दुर्गा का वास होने के कारण राम ने रावण से युद्ध के पूर्व शमी से आशीर्वाद मांगा था व समुद्र पर पुल बनाने के पूर्व भी शमी का पूजन किया था। महाभारत में पाण्डवों द्वारा अज्ञातवास में जाने से पूर्व अपने शस्त्रों को इसी वृक्ष की खोह में छुपाये गये थे। आयुर्वेद में इस वृक्ष को पुत्रदायक माना गया है। 'शमी' को 'आक' या नागकेशर की भांति जलसूचक वृक्ष भी कहा गया है। भू-गर्भ शास्त्रियों की मान्यतानुसार मरुस्थल में शमी वृक्ष के पास यदि दीमक हो तो उसके पश्चिम में भू-जल (तालाब/कुआ) मिलता है। शमी को अग्निगर्भा भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि प्रजापति ब्रह्मा ने अग्नि को उत्पन्न किया था व तदुपरान्त इसे शमी के माध्यम से नियंत्रित कर दिया था। महाकवि कालिदास का उद्धरण 'अग्निगर्भा शमीरिया' का तात्पर्य यही है कि शमी अग्नि से अधिक तापमान है। वैदिक मान्यतानुसार 'यज्ञाग्नि' शमी से ही उत्पन्न हो जाती है। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि यज्ञाग्नि प्राप्त करने के लिए अरणी प्रक्रिया द्वारा पीपल (उप) व शमी (अधो) का घर्षण किया जाता है। एक और मान्यतानुसार शमी को स्वर्णवृक्ष भी कहा गया है। धार्मिक दृष्टि से शमी में लक्ष्मी का वास माना जाता है। राजस्थान विशेषकर मारवाड़ में आज भी श्रीमाली जाति के लोग दशहरे के दिन सायंकाल में इस वृक्ष का पूजन लक्ष्मी प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं।